

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर



II/निगरानी /रीवा/भू-श/2018/1282

1. सत्यनारायण तनय अवधेश प्रसाद,
2. रुकमनिया बेवा पत्नी अवधेश प्रसाद तिवारी,  
दोनों निवासी ग्राम कन्देहली, तहसील सेमरिया, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मेघनाथ तनय रामसजीवन,
2. सुभगिया बेवा पत्नी रामसजीवन,  
दोनों निवासी ग्राम देवरी, तहसील सेमरिया, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.) के राजस्व प्रक. क्र. 257/अ-23/अपील/2008-09, सत्य नारायण वगैरह बनाम मेघनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2018 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वी।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य -

(46)

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक D/R/सीवा/भूराज/18/1282,

सत्यनाथराव/मेधनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>08/01/19</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>सतानन्द पाठडेय</u>  अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सीता</u>  के प्रकरण क्रमांक <u>257/31-23/08-09</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>12/02/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में  दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित  संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु  प्रकरण आयुक्त संभाग <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया  जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को संभागीय आयुक्त  <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>हर</u> सदस्य</p>	

*[Handwritten signature]*